

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ10 ()आर.एम.एस.(टी)/DLE/2016/10283 दिनांक : 25.11.2016

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर नियोजन सहायक के रिक्त पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषदों में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता/माता का नाम	वर्ग	चयन का वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1.	सुश्री पृथ्वी	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	सामा.महिला	कोटा
2.	श्री सौरभ गहलोत	श्री सुनील गहलोत	अ0पि0व0	सामा.पुरुष	नागौर
3.	श्री अनुराग मिश्रा	श्री बिपिन कुमार मिश्रा	सामान्य	सामा.पुरुष	टोंक
4.	श्री आशीष कुमार सिंह	श्री सत्यप्रकाश सिंह	सामान्य	सामा.पुरुष	सवाईमाधोपुर
5.	श्री नितिन मीना	श्री भंवर लाल मीणा	अनु.जनजाति	सामा.पुरुष	ब्यावर
6.	सुश्री सुमन चौधरी	श्री हरीराम ग्वाला	अ0पि0व0	सामा.महिला	पाली
7.	सुश्री श्रद्धा जैन	श्री अजय कुमार जैन	सामान्य	सामा.महिला	उदयपुर
8.	श्री विकास सैनी	श्री मोतीलाल सैनी	अ0पि0व0	सामा.पुरुष	झुन्झुनू
9.	श्री अंकित पालावत	श्री गजेन्द्र एस पालावत	अ0पि0व0	सामा.पुरुष	धौलपुर
10	सुश्री दिशा तोमर	श्री हरी शंकर तोमर	सामान्य	सामा.महिला	अलवर
11	श्री अरुण जेफ	श्री रोहिताश्व मीणा	अनु.जनजाति	अनु.जनजाति पु.	सिरोही
12	श्री नरेन्द्र कुमार नट	श्रीमती रुपा देवी नट	अनु.जाति	अनु.जाति पु	सीकर
13	श्री दीपक जांगिड़	श्री मदनलाल जांगिड़	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	श्रीगंगानगर
14	श्री विजय सिंह मीणा	श्री कन्हैया लाल मीणा	अनु.जनजाति	अनु.जनजाति पु	बांसवाड़ा
15	श्री आशीष लोढ़ा	श्री सुभाष चंद लोढ़ा	सामान्य	सामान्य (पीएच)	किशनगढ़
16	श्री सुनील कुमार	श्री कृष्ण लाल	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	हनुमानगढ़

[Handwritten Signature]

17	श्री बोध कुलदीप हरजीवनलाल	श्री हरजीवन लाल जाटव	अनु.जाति	अनु.जाति पु	भीलवाड़ा
18	श्री फरसाराम बिश्नोई	श्री लूनाराम बिश्नोई	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	चूरु
19	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री ग्यारसी लाल प्रेमी	अनु.जाति	अनु.जाति पु	चित्तौड़गढ़

क्र.सं. 1 पर अंकित सुश्री पृथ्वी को नगर निगम, कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य करने हेतु, क्र.सं. 3 पर अंकित श्री अनुराग मिश्रा को नगर परिषद, टोंक के साथ-साथ नगर निगम, जयपुर में स्मार्ट सिटी का कार्य करने हेतु, क्र.सं. 4 पर अंकित श्री आशीष कुमार सिंह को नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के साथ-साथ नगर परिषद, गंगापुरसिटी का कार्य करने हेतु तथा क्र.सं. 7 पर अंकित सुश्री श्रद्धा जैन को नगर निगम, उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशोषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यक्षीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. नगर नियोजन सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
6. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
7. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।



8. नगर निकायों को आवंटित चयनित नगर नियोजन सहायक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत नगर नियोजन सहायक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाईन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग भिजवाये।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ10 ()आर.एम.एस.(टी)/~~500~~/2016/10284-437 दिनांक : 25.11.2016
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वाशा.वि., राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. आयुक्त, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावें।
04. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
06. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
07. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
08. सम्बन्धित श्री
09. सुरक्षित पत्रावली।

(एम0 पी0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक